न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 98/21
(जीसीएमएस संख्या 2021/0182)

निर्णय दिनांकः–22.06.2022

1. नेमीचन्द पुत्र श्री गोमाराम जाति नाई निवासी चन्गोई तहसील तारानगर जिला चुरू ।

–अपीलांट्

–बनाम–

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 04–09–1997
उपखण्ड अधिकारी एवं आंवटन अधिकारी मुकाम खाजुवाला

उपस्थितिः–
1. श्री रफीक शाह, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी एवं आंवटन अधिकारी मुकाम खाजुवाला के आदेश दिनांक 04–09–1997 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा सन् 1992 में एसीसी छत्तरगढ के चक 1एसएचडब्ल्युएम के मुरब्बा नम्बर 128/63, 128/55 व 148/7 के आवंटन हेतु विशेष आंवटन में आंवटित करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। कालान्तर में क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण अपीलांट का आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला को भिजवा दिया जहाँ प्रार्थी को बिना

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सुने अपीलांट का प्रार्थना पत्र 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–09–1997 के विरूद्व अपील दिनांक 12–04–2021 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–09–1997 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 12–04–2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने के कारण आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया। इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को दिनांक 01–08–1997 को एक नोटिस जारी किया गया है, उक्त नोटिस पर तहसीलदार तारानगर की ओर से जमादार को तामिल करने का आदेश 14–08–1997 का होना अंकित है । उक्त नोटिस पर अपीलांट को दिनांक 27–08–1997 को वांछित सबूत मय 35 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया है जबकि जमादार को तामिल कराने का आदेश दिनांक 14–08–1997 का है। इतनी अल्प अवधि में अपीलांट को नोटिस तामील होना व अपीलांट द्वारा वांछित सबूत एकत्रित किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी साबित है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु किसी प्रकार का कोई चालान भी जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई विधिवत नोटिस/नोटिस तामील की सुनिश्चितता अथवा चालान आवंटन अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:–**Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative un allotted land out of those lands which were previously notified and Applications were inviting for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such un allotted land.**

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपयुर्क्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी।

7. अतः उक्त नियम के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–09–1997 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट के आवेदन पत्र पर विशेष आवंटन नियम 13ए में उल्लेखित पात्रता की शर्तो की जॉच करते हुए व विशेष आवंटन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समस–समय पर अब तक जारी परिपत्रो के अनुसरण में नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8. निर्णय आज दिनांक 22.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते